Title: Need to issue directions to Jharkhand state on reservation of seats for tribals in Panchayat elections.

डॉ. धीरेन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झारखण्ड सरकार को रांची हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर से पहले पंचायतों के चुनाव कराने का निर्देश दिया है। झारखण्ड सरकार ने बिना सोचे-समझे जैसे पहले डोमीसाइल नीति बनाई थी और पूरे झारखण्ड में गृहयुद्ध की स्थिति पैदा कर दी थी, उसी तरह से पंचायतों के चुनाव से पहले 12 जिलों को पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घोषित कर दिया है, जबकि इन जिलों की अनेक पंचायतों में अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं के बराबर है। अब जब झारखण्ड सरकार की इस नीति का विरोध हो रहा है और आन्दोलन होने की सम्भावना है, इसको देखते हुए झारखण्ड सरकार ने एक षड्यन्त्र के तहत अपनी कैबिनेट में इसमें संशोधन करते हुए डीरिजर्वेशन के लिए स्वीकृति केन्द्र सरकार से मांगी है।

मेरा आपसे कहना है कि जब झारखण्ड सरकार ने 12 जिलों में यह रिजर्वेशन किया था, तब केन्द्र सरकार से अनुमति नहीं ली थी, तो आज उन्हें किसलिए डीरिजर्वेशन के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ गई है। यह एक षड्यन्त्र है और झारखण्ड सरकार 15 अक्टूबर तक चुनाव नहीं करवाना चाहती है, इसलिए उसने गेंद केन्द्र के पाले में डाल दी है।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन होगा कि झारखण्ड सरकार को यह आदेश दे कि जब रिजर्वेशन किया था तो उससे पूछा नहीं था तो डीरिजर्वेशन के लिए उसे पूछने की जरूरत नहीं है। जिन पंचायतों में जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जहां अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, उसे रिजर्व घोषित किया जाये और जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कम है, उसे डीरिजर्व घोषित करते हुए 15 अक्टूबर से पहले-पहले वहां पर पंचायतों के चुनाव करवाये जायें।â€¦ (व्यवधान)